



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243694
CG-DL-E-17022023-243694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]
No. 89]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 108(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (रजिस्ट्रार, काउन्सेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (रजिस्ट्रार, काउन्सेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (रजिस्ट्रार, काउन्सेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) नियम, 2022 में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए 60011/48/2022-एन.डी.आई.ए.सी.(एल.ए.)]

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 24 जून, 2022 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469(अ), तारीख 24 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2023

G.S.R. 108(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 30 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the New Delhi International Arbitration Centre (Number of Posts and Recruitment of Registrar, Counsel and other officers and employees) Rules, 2022, namely:—

1. (1) These rules may be called the New Delhi International Arbitration Centre (Number of Posts and Recruitment of Registrar, Counsel and other officers and employees) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the New Delhi International Arbitration Centre (Number of Posts and Recruitment of Registrar, Counsel and other officers and employees) Rules, 2022, for the words “the New Delhi International Arbitration Centre”, wherever they occur, the words “the India International Arbitration Centre” shall be substituted.

[F. No. A 60011/48/2022-NDIAC (LA)]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 469(E), dated the 24th June, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 24th June, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 109(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 30 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए 60011/48/2022-एन.डी.आई.ए.सी.(एल.ए.)]

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 11 जून, 2022 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 442(अ), तारीख 11 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2023

G.S.R. 109(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 30 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the New Delhi International Arbitration Centre (Terms and Conditions and the Salary and allowances payable to Chairperson and Full-time Members) Rules, 2022, namely:—

1. (1) These rules may be called the New Delhi International Arbitration Centre (Terms and Conditions and the Salary and allowances payable to Chairperson and Full-time Members) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the New Delhi International Arbitration Centre (Terms and Conditions and the Salary and allowances payable to Chairperson and Full-time Members) Rules, 2022, for the words “the New Delhi International Arbitration Centre”, wherever they occur, the words “the India International Arbitration Centre” shall be substituted.

[F. No. A 60011/48/2022-NDIAC (LA)]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 442(E), dated the 11th June, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 11th June, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 110(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 26 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए 60011/48/2022-एन.डी.आई.ए.सी.(एल.ए.)]

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

पाद टिप्पणः— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 21 जून, 2022 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 464(अ), तारीख 21 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2023

G.S.R. 110(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 30 read with sub-section (1) of section 26 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the New Delhi International Arbitration Centre (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2022, namely:—

1. (1) These rules may be called the New Delhi International Arbitration Centre (Form of Annual Statement of Accounts) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the New Delhi International Arbitration Centre (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2022, for the words “the New Delhi International Arbitration Centre”, wherever they occur, the words “the India International Arbitration Centre” shall be substituted.

[F. No. A 60011/48/2022-NDIAC (LA)]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.

Foot Note.— The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 464(E), dated the 21st June, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 21st June, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 111(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022 में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए 60011/48/2022-एन.डी.आई.ए.सी.(एल.ए.)]

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 24 जून, 2022 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 470(अ), तारीख 24 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2023

G.S.R. 111(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 30 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the New Delhi International Arbitration Centre (Travelling and other Allowances Payable to Part-time Members) Rules, 2022, namely:—

1. (1) These rules may be called the New Delhi International Arbitration Centre (Travelling and other Allowances Payable to Part-time Members) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the New Delhi International Arbitration Centre (Travelling and other Allowances Payable to Part-time Members) Rules, 2022, for the words “the New Delhi International Arbitration Centre”, wherever they occur, the words “the India International Arbitration Centre” shall be substituted.

[F. No. A 60011/48/2022-NDIAC (LA)]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.

Foot Note.— The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 470(E), dated the 24th June, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 24th June, 2022.